न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

महावीर खराड़ी आर0ए0एस0

अपील सं0 03/2018

1. लीलूराम पुत्र स्व0 नन्दली उर्फ आनन्दो पुत्री स्व0 हनुमान पुत्र गोपाल जाति माली आयु 50 वर्ष निवासी नेता कालोनी योग स्कुल के पीछे 12 क्वार्टल रोड सातरोड हिसार तहसील व जिला हिसार हरियाणा ।
2. रामकुमार उम्र 53 साल स्व0 नन्दली उर्फ आनन्दो पुत्री स्व0 हनुमान पुत्र गोपाल जाति माली आयु 50 वर्ष निवासी नेता कालोनी योग स्कुल के पीछे 12 क्वार्टल रोड सातरोड हिसार तहसील व जिला हिसार हरियाणा । जरिये मुख्तयार आम लीलूराम पुत्र स्व0 नन्दली उर्फ आनन्दो पुत्री स्व0 हनुमान पुत्र गोपाल जाति माली आयु 50 वर्ष निवासी नेता कालोनी योग स्कुल के पीछे 12 क्वार्टल रोड सातरोड हिसार तहसील व जिला हिसार हरियाणा ।
3. रोहताश उम्र 41 साल स्व0 नन्दली उर्फ आनन्दो पुत्री स्व0 हनुमान पुत्र गोपाल जाति माली आयु 50 वर्ष निवासी नेता कालोनी योग स्कुल के पीछे 12 क्वार्टल रोड सातरोड हिसार तहसील व जिला हिसार हरियाणा । जरिये मुख्तयार आम लीलूराम पुत्र स्व0 नन्दली उर्फ आनन्दो पुत्री स्व0 हनुमान पुत्र गोपाल जाति माली आयु 50 वर्ष निवासी नेता कालोनी योग स्कुल के पीछे 12 क्वार्टल रोड सातरोड हिसार तहसील व जिला हिसार हरियाणा ।
4. महावीर उम्र 37 वर्ष स्व0 नन्दली उर्फ आनन्दो पुत्री स्व0 हनुमान पुत्र गोपाल जाति माली आयु 50 वर्ष निवासी नेता कालोनी योग स्कुल के पीछे 12 क्वार्टल रोड सातरोड हिसार तहसील व जिला हिसार हरियाणा । जरिये मुख्तयार आम लीलूराम पुत्र स्व0 नन्दली उर्फ आनन्दो पुत्री स्व0 हनुमान पुत्र गोपाल जाति माली आयु 50 वर्ष निवासी नेता कालोनी योग स्कुल के पीछे 12 क्वार्टल रोड सातरोड हिसार तहसील व जिला हिसार हरियाणा ।
5. अशोक उम्र 33 वर्ष स्व0 नन्दली उर्फ आनन्दो पुत्रो स्व0 हनुमान पुत्र गोपाल जाति माली आयु 50 वर्ष निवासी नेता कालोनी योग स्कुल के पीछे 12 क्वार्टल रोड सातरोड हिसार तहसील व जिला हिसार हरियाणा । जरिये मुख्तयार आम लीलूराम पुत्र स्व0 नन्दली उर्फ आनन्दो पुत्री स्व0 हनुमान पुत्र गोपाल जाति माली आयु 50 वर्ष निवासी नेता कालोनी योग स्कुल के पीछे 12 क्वार्टल रोड सातरोड हिसार तहसील व जिला हिसार हरियाणा ।

6. मीनादेवी उम्र 61 साल पुत्री स्व0 नन्दली उर्फ आन्नदो पुत्री स्व0 हनुमान पुत्र गोपाल पत्नि कन्हैयालाल जाति माली हाल निवासी नायको का मोहल्ला वार्ड न0 3 पिलानी तहसील चिडावा जिला झूझूनू ।
7. गीतादेवी उम्र 56 पुत्री स्व0 नन्दली उर्फ आन्नदो पुत्री स्व0 हनुमान पुत्र गोपाल पत्नि शेरसिह जाति माली निवासी गांव सातरोड नजदीक बिजली घर हिसार तहसील व जिला हिसार हरियाणा।

अपीलांटस

बनाम

1.घड़सीराम उम्र 87 साल पुत्र स्व0 भूराराम जाति माली निवासी वार्ड न0 22 राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।

2. मदनलाल उम्र 66 वर्ष पुत्र स्व0 भूराराम जाति माली निवासी वार्ड न0 22 राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।

3. ओमप्रकाश उम्र 51 साल पुत्र स्व0 भूराराम जाति माली निवासी वार्ड न0 22 राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।

4. तहसीलदार राजगढ जिला चूरू ।

रेस्पोडेण्टस

उपस्थितः— 1. श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ललीत गौतम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारीराजगढ के निर्णय दिनांक 17.11.2017 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः—10.03.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 17.11.2017 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि के ख0न0 12 रकबा 19.6 बीघा, ख0न0 13 रकबा 32.4 बीघा, ख0न0 111 रकबा 77.17 बीघा कुल तादादी 139.7 बीघा वाके ग्राम झुगली तहसील राजगढ जिला चूरू की भूमि का घोषणात्मक दावा एवं खाता विभाजन हेतु प्रस्तुत किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य, सबुत न लेकर रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना

पत्र दिनांक 11.04.2016 का आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वाद पत्र ही खारिज कर दिया जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गयी है ।

2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी लिखित बहस में कथन किया है । वादगत कृषि भूमि के ख0न0 12 रकबा 19.6 बीघा, ख0न0 13 रकबा 32.4 बीघा, ख0न0 111 रकबा 77.17 बीघा कुल तादादी 139.7 बीघा वाके ग्राम झुगली तहसील राजगढ जिला चूरू की भूमि गोपाल पुत्र नोपा की खातेदारी की भूमि थी । गोपाल के तीन पुत्र हनुमान भूराराम और हेतराम व एक पुत्री चावली हुई । हनुमान का विवाह मेघा नाम की औरत से हिन्दु रिति रिवाज से हुआ । हनुमान के एक पुत्री नन्दली उर्फ आनन्दी हुई उसके कुछ समय पश्चात हनुमान का स्वर्गवास हो गया और हनुमान की पत्नी मेघा ने हनुमान के छोटे भाई भूराराम के नाते चली गयी । नन्दली उर्फ आनन्दी की शादी कर दी गयी । आनन्दी व आनन्दी के वारीसान के द्वारा अपने पिता हनुमान की जायदाद पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखवाने हेतु एक वाद घोषणात्मक का अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य सबुत लिये व बिना दस्तावेजो का अवलोकन किये वाद खारिज कर दिया । अधिनस्थ न्यायालय को अपना निर्णय पारित करने से पूर्व न्यायहित में अपीलांट/वादी को साक्ष्य सबुत पेश करने का मौका दिया जाना चाहिये था तथा सभी पक्षकारान को विधि अनुसार सुना जाना व साक्ष्य सबुंत पेश करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था । किन्दु अधिनस्थ न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशो का उल्लधन करते हुऐ एक तरफा आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गोपाल क वारिसान भूराराम व हेतराम को किस आधार पर वारिसान माना और किस आधार पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया का विवरण कहीं भी अंकित नही किया है । प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत करने से पुर्व अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टान द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाना चाहिये था किन्तु ऐसा नही किया गया । अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे व अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.11.2017 को खारिज किया जावे ।

3. रेस्पो0 पक्ष के अभिभाषक द्वारा अपीलांट की बहस को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि वादगत वादगत कृषि भूमि के ख0न0 12 रकबा 19.6 बीघा, ख0न0 13 रकबा 32.4 बीघा, ख0न0 111 रकबा 77.17 बीघा कुल तादादी 139.7 बीघा वाके ग्राम झुगली तहसील राजगढ जिला चूरू में स्थित भूमियों की बाबत अपीलांट/वादी ने स्वयं को गोपाल के पुत्र हनुमान की पुत्री नन्दली उर्फ आनन्दो के वारिसान होना बताकर अधिनस्थ न्यायालय में दावा में दज किये अनुसार स्वयं का हक घोषित करवाना चाहा है जबकि हनुमान के इस नाम की कोई पुत्री कभी पैदा नही हुई । अगर ऐसी पुत्री होती जो वह अपने पिता के जीवनकाल में अपने हक अधिकारों की बाबत कार्यवाही करती हनुमान के नाम भूमि 70 साल पूर्व दर्ज हुई है तथा नन्दली का स्वर्गवास दावा में दर्ज किए अनुसार 12.04.2003 को होना अंकित किया है जिसके बाद भी वादीगण ने नामान्तरकरण दर्ज कराने की कोई कार्यवाही नही की ऐसे में अपीलांट/वादी को कोई अपील कारण व अपीलाधार प्राप्त नही है एव अपील विधि

वर्जित है । अपीलांट/वादी ने कुर्सीनामा नन्दली का जन्म प्रमाण पत्र, राशनकार्ड आदि भी प्रस्तत नही किए है ऐसे में अपील खारिज योग्य है । वादगत भूमि में आज से 70 साल पूर्व अंकन किया गया है एवं नन्दली उर्फ आनन्दो की मृत्यु को भो 13 साल हो चुके है उक्त अवधि में नन्दलो उर्फ आन्नदो अथवा उसके वारिसान ने भूमि में अपने अधिकारों की कोई घोषणा नही कराई । हनुमान शादी शुदा नही था ऐसे में उसके कोई पुत्री ोने का सवाल ही पेदा नही होता है । अपीलांट नन्दली उर्फ आनन्दो के वारिसान हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही है व न ही अपीलाट की अपील का कोई ओचित्य रहता है । अतः अपील अपीलांट की खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.11.2017 को यथावत रखा जावे ।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेण्ट पक्ष द्वारा की गयी बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि अपीलांट द्वारा स्वयं को गोपाल के पुत्र हनुमान की पुत्री नन्दली उर्फ आनन्दो के वारिसान होना बताकर अपील म दर्ज अनुसार स्वयं का हक घोषित करवाना चाहा है जबकि इसको प्रमाणित करने के लिए कोई तस्दीकशुद्वा कुर्सीनामा प्रस्तुत नही किया है व न ही नन्दली उर्फ आनन्दो का हनुमान की पुत्री होने बाबत कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया है । अपीलांट द्वारा अपील में स्वयं के नाना की सम्पती होना बताकर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार हक घोषणा चाही है लेकिन इस बाबत स्वयं को काई अपीलाधार प्राप्त होने का स्पष्ट अंकिन नही किया है । अपीलांट के अभिवचनो के अनुसार नन्दली उर्फ आनन्दो के द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में तथा नन्दली उर्फ आनन्दो के स्वर्गवास सन 2003 के बाद अपीलांट के वादगत कृषि भूमि में स्वयं के अधिकारों की घोषणार्थ कोई कार्यवाही नही की है तथा इस बाबत रजिस्टर्ड या विधि द्वारा स्वीकार योग्य वसीयत भी पेश नही की है । हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार "ऐसी सम्पत्ति जिसका वसीयती व्ययन दिनांक 20.12.2004 से पूर्व हो चुका है उसके पुत्री संतान द्वारा हक की घोषणा नही कराई जा सकती है" । अपील में अभिवचनों से वादगत सम्पत्ति का उक्त दिनांक से पूर्व व्ययन हो चुका होना प्रमाणित है ऐसे मे अपीलांट को अपील लाने का कोई अधिकार स्थापित नही हुआ है ।
5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.11.2017 को यथावत रखा जाता है पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।
6. निर्णय आज दिंनाक 10.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महावीर खराड़ी)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर